जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 | वर्षः 32 | संख्याः 140 | प्रभात | उदयपुर, मंगलवार 25 मार्च, 2025 | आर.जे. 7202 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2.50 रु.

ग्रीनलैण्ड को अमेरिका का 51 वां प्रान्त बनाने की ट्रम्प की इच्छा से काफी विचलित हैं, वहां के नागरिक

85 प्रतिशत ग्रीनलैण्ड निवासी, ट्रम्प की इस कल्पना के पूर्णतया खिलाफ हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 मार्च। डॉनल्ड ट्रंप ने खनिजों से भरपूर ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, और धमकी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हो पाया तो उनके नेतृत्व में अमेरिका "वैसे भी" ग्रीनलैंड को हासिल कर ही लेगा।

अब अमेरिका ने "हाई प्रोफाइल" मेहमान वहाँ भेजने शुरु कर दिए हैं। द्वीप के राजनीतिक अधिकारियों ने इसे "अत्यधिक आक्रामक" कदम बताया है।

यू.एस. नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ के ग्रीनलैंड जाने की पूरी तैयारी है। इसी के साथ, अमेरिका के वाइस प्रैसिडैंट की पत्नी ऊषा वैंस भी अपने पुत्र के साथ "सांस्कृतिक मिशन" पर द्वीप की यात्रा पर जाएंगी। वाइट हाउस प्रवक्ता के अनुसार, ऊषा वैंस द्वीप के विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों का दौरा करेंगी तथा उसके बाद वार्षिक "डॉग स्लैड रेस" भी देखेंगी।

- जैसा की विदित ही है, 1953 के बाद ग्रीनलैण्ड, स्वायत्त शासित हिस्सा बना रहा डैनमार्क का।
- पर हाल ही में हुए चुनाव में, ग्रीनलैण्ड ने एक नये प्रधानमंत्री को जिता कर भेजा। चुनाव इस बात का भी प्रतीक था कि ग्रीनलैण्डवासी एक स्वतंत्र व सर्वभौम राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
- अमेरिका के प्रवक्ता के अनुसार, ग्रीनलैण्ड का अधिग्रहण करने के बाद, अमेरिका अच्छी हुकूमत देगा, तथा ग्रीनलैण्ड की समृद्ध खनिज सम्पदा को भी अन्य देशों की ललचायी आंखों से सुरक्षित रखेगा।
- अमेरिका का प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद, अमेरिका ने एक के बाद एक वी.वी.आई.पी. अतिथि ग्रीनलैण्ड भेजने शुरू किए हैं।
- इसी सन्दर्भ में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, माइक वॉल्ट्ज और उपराष्ट्रपति की पत्नी ऊषा वैंस को ग्रीनलैण्ड भेजा गया। आक्रमक कलचरल पर्यटन को भी ग्रीनलैण्ड वासी सन्देह की दृष्टि से देख रहे हैं।

तथापि, द्वीपवासी ग्रीनलैंड की संस्कृति में अमेरिका की इस अत्यधिक रुचि को बहुत सहजता से नहीं ले रहे हैं। आम स्तर पर 85 प्रतिशत ग्रीनलैंड वासी, अमेरिका का हिस्सा बनने की किसी भी संभावना के विरुद्ध हैं।

द्वीप के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के इस कदम को "अत्यधिक आक्रामक" बताया है। नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम दर्शाता है कि उसके मन में द्वीप के लिए "आदर का अभाव" है।

ये राजनीतिक यात्राएं अचानक ही ऐसे समय पर शुरु हुई हैं, जब द्वीप राजनीतिक पलायन के दौर से गुज़र रहा है। सन् 1953 तक, ग्रीनलैंड पर डैनमार्क का शासन था और उसके बाद से यह द्वीप डैनमार्क का स्वायत्त हिस्सा रहा है। तथापि, हाल में चुनाव हुए हैं, जिनके द्वारा एक नया प्रधानमंत्री चुना गया।

द्वीप के लोग स्वतंत्र तथा एक संप्रभु राष्ट्र के रुप में रहना चाहते हैं। इन लोगों को अमेरिका की बातों से भारी धक्का लगा है।

द्वीप में ऐसे दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर आपूर्ति कम है और इसलिए कई देशों की इस पर नज़रें हैं। ये दुर्लभ खनिज रक्षा उद्योगों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

45 पुराने कानून खत्म

जयपुर, 24 मार्च। राजस्थान विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन प्रदेश में 45 गैर-जरूरी और पुराने हो चुके कानून खत्म कर दिये गये। विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान विधियां निरसन विधेयक पारित कर दिया गया है। इस बिल में पुराने 45 कानून खत्म करने का प्रावधान है। इनमें 37 कानून तो पंचायती राज से जुड़े हैं।

बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1952 जैसे पुराने कानून समाप्त हो गए। बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि

- राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन 45 गैर जरुरी तथा पुराने पड़ चुके कानून रद्द करने का बिल पारित कर दिया गया।

समय-समय पर अप्रचलित और अनुपयोगी कानून को हटाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी 123 कानून निरस्त किए गए थे। इनमें 100 अमेंडमेन्ट थे। मंत्री पटेल ने कहा कि वर्तमान में 45 कानूनों के निरसन की अनुशंसा की गई है। इनमें 37 कानून मूल कानून में ही समाहित हो गए हैं। पटेल ने कहा कि लीगल सिस्टम के जरिए जनता को फायदा पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। समय -समय पर सरकार की ओर से कानून की समीक्षा की जाती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब सांसदों का वेतन एक लाख रूपये प्रतिमाह से बढ़कर सवा लाख रूपये प्रतिमाह हुआ

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी पीछे नहीं रही, मंत्री व विधायकों को वेतन वृद्धि देने के मसले पर

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- मुख्यमंत्री का वेतन 78 हजार रू. प्रतिमाह से बढ़कर 1.5 लाख रु. हो गया। तथा मंत्रियों का वेतन भी साठ हजार रु. से बढ़कर सवा लाख रुपये प्रतिमाह हो गया।
- कर्नाटक में एक साधारण नागरिक के वेतन की तुलना में एक पूर्व विधायक को दोगुने से भी कुछ ज्यादा वेतन मिलेगा और वर्तमान विधायक को आम आदमी से नौ गुना ज्यादा वेतन मिलेगा।

नई दिल्ली, 24 मार्च। खुद को फायदा पहुँचाने की कोशिश के तहत, आज मोदी सरकार ने सरकारी खजाने के दरवाजे खोलते हुये, वर्तमान सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी। सरकार ने वर्तमान तथा पूर्व सांसदों के वेतन, पेन्शन तथा अतिरिक्त (एडिशनल) पेन्शन के संशोधन की भी घोषणा कर दी।

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान सांसदों के दैनिक भत्ते तथा 5 साल से अधिक समय तक सांसद रह चुके नेताओं की पेन्शन तथा अतिरिक्त पेन्शन भी बढ़ाई गई है।

जहाँ नागरिक अत्यावश्यक वस्तुओं की ऊँची कीमतों की मार झेल रहे हैं, वहीं मोदी सरकार ने सांसदों के वेतन बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। सांसदों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भी शामिल है। जाहिर है, सरकार के इस कदम से लोगों में नाराज़गी पैदा होगी।

सांसदों का वेतन "सैलरी, अलाउन्सैज़ एंड पेन्शन ऑफ मैम्बर्स ऑफ पॉलियामैंट एक्ट "में प्रदत्त अधिकारों को काम में लेते हुये बढ़ाया गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में उल्लिखित "कॉस्ट इन्फ्लेशन इन्डैक्स" पर आधारित है।

सांसदों का मासिक वेतन 1,00,000 रूपए से बढ़ाकर 1,24,000 रूपए कर दिया गया है। दैनिक भत्ता 2,000 रूपए से बढ़ाकर 2,500 रूपए कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेन्शन 25,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 31,000 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है और 5 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष की सेवा पर मिलने वाली अतिरिक्त पेन्शन 2,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है।

कर्नाटक में कांग्रेस की राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा विधायकों को 100 प्रतिशत वेतन-वृद्धि को मंजूरी देने में कोई संकोच नहीं किया है।

ये वेतन वृद्धियाँ बजट सत्र 2025 के दूसरे चरण में दी गई। इससे चन्द रोज़ पहले ही, कर्नाटक सरकार ने अपने मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा विधायकों के वेतन में शत-प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी थी।

"कर्नाटक मिनिस्टर्स सैलरीज एंड अलाउंसेज़ (अमैन्डमैंट) बिल" के अनुसार, मुख्यमंत्री का वेतन दोगुना होने के बाद, 75,000 रूपए से 1.5 लाख रूपए तथा मंत्रियों का वेतन 108 प्रतिशत वृद्धि के बाद 60,000 रूपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रूपए हो जायेगा।

कर्नाटक विधानसभा में भारी अव्यवस्था के दौरान संदर्भित विधेयक, बिना किसी बहस के पारित हो गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)